रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2015/चैत्र 10, 1937
No. 190] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2015/CHAITRA 10, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

सा.का.नि. 241(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 73 और धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2015 है।

   (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में, -

(1) नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ग) में, -

(क) उपखंड (vii) के स्पष्टीकरण (क) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन जबतक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी कंपनी द्वारा 01 अप्रैल, 2014 से पूर्व किसी शेयर, स्टॉक, बांड या प्रतिभूति के अंशदान द्वारा प्राप्त और 31 मार्च, 2014 को या उसके पूर्व समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र में प्रकट की गई किसी राशि, जिसके लिए आवंटन 31 मार्च, 2015 को लंबित हो, के मामले में कोई शेयर, स्टॉक, बांड या प्रतिभूति निर्धारित अवधि में आवंटित करने के लिए कंपनी, 01 जून, 2015 तक या तो उन व्यक्तियों को ऐसी राशि वापस करेगी जिनसे यह प्राप्त की गई थी या शेयर, स्टॉक, बांड या प्रतिभूति आवंटित करेगी या इन नियमों का अनुपालन करेगी।"

(ख) उपखंड (xii) के मद (ख) में -

(अ) "सम्पत्ति के प्रतिफल" शब्दों के स्थान पर "स्थावर संपत्ति के प्रतिफल" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) "संपत्ति के प्रति" शब्दों के स्थान पर "ऐसी संपत्ति के प्रति" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपखंड (xii) के स्पष्टीकरण में "प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर "परंतुक में निर्दिष्ट" शब्द रखे जाएंगे;

(2) नियम 3 में उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(8) प्रत्येक पात्र कंपनी, वर्ष में कम-से-कम एक बार उसके द्वारा स्वीकार की गई जमा के लिए क्रेडिट रेटिंग नीचे विनिर्दिष्ट रीति में प्राप्त करेगी और उस रेटिंग की एक प्रति प्ररूप डीपीटी-3 में जमा की विवरणी के साथ कंपनी रजिस्ट्रार को प्रेषित करेगी;

अभिकरण का नाम	न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग
(क) द क्रेडिट रेटिंग इंफॉरमेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड	एफए - (एफए मायनस)
(ख) आईसीआरए लिमिटेड	एमए - (एमए मायनस)
(ग) क्रेडिट एनालेसिस एंड रिसर्च लिमिटेड	सीएआरई बीबीबी(एफडी)
(घ) फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	टीए-(इंड) (एफडी)
(ड.) ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	बीडब्ल्यूआर एफ ए
(च) एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड	एसएमईआरए ए"

(3) नियम 5 के उपनियम (1) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु कंपनियां 31 मार्च, 2016 तक या किसी जमा बीमा उत्पाद की उपलब्धता तक, जो भी पूर्वतर हो, बिना जमा बीमा संविदा के जमा स्वीकार कर सकेगी।"

(4) उपाबंध में, प्ररूप "डीपीटी-3" के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप डीपीटी 3

जमा की विवरणी

[कंपनी नियम (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 16 के अनुसरण में]

1. (क) सीआईएनः
   (ख) जीएलएनः

2. (क) कंपनी का नामः
   (ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पताः
   (ग) ई-मेल:

3. कंपनी की किस्म
   पब्लिक कंपनी
   प्राइवेट कंपनी

4. क्या कंपनी सरकारी कंपनी है:

हां

नहीं

5. कंपनी के उद्देश्य:

6. (क) विज्ञापन या परिपत्र जारी करने की तारीख:

(ख) लेखों समापन की पिछली तारीख:

(ग) विज्ञापन या परिपत्र की वैधता समाप्त होने की तारीख:

7. रिटर्न की तिथि से पूर्व पिछले लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शुद्ध मूल्य-

(क) (i) संदत्त शेयर पूंजी

(ii) मुक्त आरक्षित

(ख) (i) संचित हानि

(ii) आस्थगित राजस्व व्यय का शेष

(iii) संचित अनुपलब्धता अवमूल्यन

(iv) विविध व्यय और प्रारंभिक व्यय

(v) अन्य अमूर्त आस्तियां

(ग) शुद्ध मूल्य (क-ख)

(घ) जमा की अधिकतम सीमा (अर्थात् सरकारी कंपनी के मामलों में उपर्युक्त का 35% या अन्यों के मामले में 25%)

8. जमा के विवरण (शेयरधारकों और अन्यों से प्राप्त जमा के संबंध में अलग-अलग दिए जाने हैं)

(क) 1 अप्रैल को वर्तमान जमा की रकम

(ख) वर्ष के दौरान स्वीकृत या नवीकरण की गई जमा की रकम

(i) प्रतिभूति जमा

(ii) प्रतिभूति रहित जमा

(ग) वर्ष के दौरान पुनः सदृत जमा की रकम

(घ) वर्ष के अंत में बकाया जमा का शेष (क+ख-ग)

9. बकाया जमा का विवरण:-

विशिष्टियां	जमा प्राप्ति की तारीख	ब्याज दर	.............के पश्चात् पुनः संदाय किया जाना है

10. (क) जमा की रकम जो देय हो गई है परंतु जिसका दावा नहीं किया गया हैः

(ख) जमा की रकम जो देय हो गई है और दावा की गई लेकिन जिसका संदाय नहीं किया गया हैः

11. नकद आस्तियों के विवरण

(क) अगले वर्ष और उसके अगले वर्ष 31 मार्च से पहले देय होने वाली जमा की रकम:

(ख) नकद आस्तियों में निवेश के लिए अपेक्षित रकम:

(ग) नकद आस्तियों के विवरणः

	निवेश/जमा की तारीख	रकम
(क) किसी अधिसूचित बैंक में प्रभार या अधिकार मुक्त चालू या अन्य जमा खाते में रकम		
(ख) केंद्रीय/राज्य सरकार की प्रभार मुक्त प्रतिभूतियां		
प्रत्यक्ष मूल्य		
बाजार मूल्य		
(ग) प्रभार मुक्त न्यास प्रतिभूतियां		
प्रत्यक्ष मूल्य		
बाजार मूल्य		

12. जमा बीमा के विवरणः

(क) जमा बीमा संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख

(ख) बीमाकर्ता का नाम

(ग) संदेय प्रीमियम

(घ) प्रीमियम का संदाय कब तक किया गया हैः

(ङ) प्रत्येक जमाकर्ता के लिए अधिकतम सीमा

13. प्रभार के विवरण

(क) न्यास विलेख पर हस्ताक्षर करने की तारीख

(ख) न्यासी का नाम

(ग) संपत्ति के संक्षिप्त विवरण जिस पर जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रभार लगाया गया है

(घ) संपत्ति का मूल्य

14. प्राप्त की गई क्रेडिट रेटिंग
क्रेडिट रेटिंग देने वाला ....
रेटिंग ....

हस्ताक्षर

तारीख
स्थानः
संलग्नकः

1. लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र;
2. जमा बीमा संविदा;
3. न्यास विलेख की प्रति;
4. प्रभार लगाने की लिखत की प्रति;
5. जमाकर्ताओं के नाम, पता, जमा की गई रकम, वर्ष के दौरान संदत्त और बकाया, शोध्य ब्याज, वित्त वर्ष की समाप्ति पर शोध्य संदेय ब्याज तथा पृथक रूप से उन जमा को जो परिपक्व नहीं हुए हैं, परिपक्व हो गए हैं, जिनका दावा किया गया है, संदाय किया गया है और परिपक्व हो गए हैं, जिनका दावा किया गया है किंतु संदाय नहीं किया गया है और परिपक्व हो गए हैं किंतु संदाय के लिए दावा नहीं किया गया है को उपदर्शित करते हुए सूची। परिपक्व जमा, जारी किए गए चेक, किंतु जिनका समाशोधन नहीं किया गया है को पृथक: उपदर्शित किया जाएगा।
6. प्राप्त की गई रेटिंग की प्रति।
7. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो।

[फा. सं. 1/8/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पणी.– मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 256(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि. संख्या 386(अ) तारीख 06 जून, 2014 द्वारा इसमें बाद में संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2015

G.S.R. 241(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 73 and 76 read with sub-section (1) of Section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014,—

(1) in rule 2, in sub-rule (1), in clause (c),—

(a) in sub-clause (vii), in Explanation (a), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that unless otherwise required under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or rules or regulations made thereunder to allot any share, stock, bond, or debenture within a specified period, if a company had received any amount by way of subscriptions to any shares, stock, bonds or debentures before the 1st April, 2014 and disclosed it in the balance sheet for the financial year ending on or before the 31st March, 2014 against which the allotment is pending on the 31st March, 2015, the company shall, by the 1st June 2015, either return such amounts to the persons from whom these were received or allot shares, stock, bonds or debentures or comply with these rules."

1467GI/15-2

(b) in sub-clause (xii), in item (b),—

(A) for the words "consideration for property", the words "consideration for an immovable property" shall be substituted;

(B) for the words "against the property", the words "against such property" shall be substituted;

(c) in sub-clause (xii), in the Explanation, for the words "referred to in the first proviso", the words "referred to in the proviso" shall be substituted;

(2) in rule 3, after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(8) Every eligible company shall obtain, at least once in a year, credit rating for deposits accepted by it in the manner specified herein below and a copy of the rating shall be sent to the Registrar of Companies alongwith the return of deposits in Form DPT-3;

Name of the agency	Minimum investment Grade Rating
(a) The Credit Rating Information Services of India Ltd.	FA- (FA Minus)
(b) ICRA Ltd.	MA- (MA Minus)
(c) Credit Analysis and Research Ltd.	CARE BBB(FD)
(d) Fitch Ratings India Private Ltd.	tA-(ind)(FD)
(e) Brickwork Ratings India Pvt. Ltd.	BWR F A
(f) SME Rating Agency of India Ltd.	SMERA A"

(3) in rule 5, in sub-rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the companies may accept deposits without deposit insurance contract till the 31st March, 2016 or till the availability of a deposit insurance product, whichever is earlier."

(4) in Annexure, for Form "DPT-3" the following form shall be substituted, namely:—

Form DPT-3

Return of deposits

[Pursuant to rule 16 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]

1. (a) CIN:

(b) GLN:

2. (a) Name of the company:

(b) Registered office address:

(c) E-mail Id:

3. Whether the company is

Public company

Private company

4. Whether the company is a Government company:

YES

NO

5. Objects of the company:

6. (a) Date of issue of advertisement or circular:

(b) Date of last closing of accounts:

(c) Date of expiry of validity of advertisement or circular:

7. Net Worth as per the latest audited balance sheet preceding the date of the return-

(a) (i) Paid up share capital

(ii) Free reserves

(b) (i) Accumulated loss

(ii) Balance of deferred revenue expenditure

(iii) Accumulated unprovided depreciation

(iv) Miscellaneous expense and preliminary expenses

(v) Other intangible assets

(c) Net worth (a-b)

(d) Maximum limit of deposits (i.e., 35% of the above in case of Government Company or 25% in case of others)

8. Particulars of deposits(to be furnished in respect of deposits from shareholders and others separately)

(a) Amount of existing deposits as at 1st April

(b) Amount of deposits accepted or renewed during the year

(i) Secured deposits

(ii) Unsecured deposits

(c) Amount of deposits repaid during the year

(d) Balance of deposits outstanding at the end of the year (a+b-c)

9. Details of outstanding deposits:

Particulars	Date of receipt of deposit	Rate of interest	Repayable after ....

10. (a) Amount of deposits that have matured but not claimed:

(b) Amount of deposits that have matured and claimed but not paid:

11. Particulars of liquid assets

(a) Amount of deposits maturing before 31st March next year and following next year:

(b) Amount required to be invested in liquid assets:

(c) Details of liquid assets—

	Date of investment/deposit	Amount
(a) Amount in current or other deposits account, free from charge or lien, with any scheduled bank		
(b) Unencumbered securities of Central/State Government Face value Market value		
(c) Unencumbered trust securities Face value Market value		

12. Particulars of deposit insurance:

(a) Date of entering into deposit insurance contract

(b) Name of the insurer

(c) Premium payable

(d) Premium paid upto:

(e) Maximum ceiling limit for every depositor

13. Particulars of charge

(a) Date of entering into trust deed

(b) Name of the trustee

(c) Short particulars of the property on which charge is created for securing depositors

(d) Value of the property

14. Credit Rating obtained

From: __________

Rating: ___________

Date: Signature

Place:

Attachment:

1. Auditor's certificate;
2. Deposit insurance contract;
3. Copy of trust deed;
4. Copy of instrument creating charge;
5. List of depositors indicating name, address, amount deposited, repaid during the year and outstanding, interest due, paid and payable as at the close of the Financial Year and separately indicating deposits not yet matured,

matured, claimed and paid and matured, claimed but not paid and matured but not claimed for payment. List of deposits matured, cheques issued but not yet cleared to be shown separately.

6. Copy of rating obtained.

7. Optional attachment, if any.

[F. No. 1/8/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 256(E), dated the 31st March, 2014 and were subsequently amended vide number G.S.R. 386(E), dated the 6th June, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.